समक्षः— न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष / सदस्य म. प्र.राजस्व मण्डल ग्वालियर
भोपाल खण्डपीठ

प्रकरण कमांक :— PBR/निगरानी/बैतूल/भू-रा/2017/2040

1. पार्वती बाई बेवा स्व. पाडुंरग जाति माली उम्र 53 वर्ष
2. दुर्गादास पिता स्व. पाडुंरग जाति माली उम्र 30 वर्ष
3. अम्बादास पिता स्व. पाडुंरग जाति माली उम्र 26 वर्ष
4. देवीदास पिता स्व. पाडुंरग जाति माली उम्र 24 वर्ष
   सभी निवासी धामनगावॅ तहसील भैंसदेही जिला बैतूल म.प्र.
5. कुसुम लता पिता स्व. पाडुंरग जाति माली उम्र 28 वर्ष
   सभी निवासी हिडली रोड आठनेर तहसील आठनेर जिला बैतूल म.प्र.

....अपीलार्थीगण

बनाम

द्वारका बाई जौजे बकाराम जाति माली उम्र 62 वर्ष
मेधनाथ मोहल्ला मुलताई जिला बैतूल म.प्र.

.. गैरअपीलार्थी

.अपील अर्न्तगत घारा 44 — 2 म.प्र.भू रा. स. 1959

अपीलार्थीगण की ओर से विनय हैः—

यह कि न्यायालय श्रीमानअपर आयुक्त नमर्दापुरम होशगांबाद म.प्र. द्वारा प्रकरण कमांक 119 अ/ 6 2015.16 मे पारित आदेश दिनांक 09.05.17 से व्यथित एवं परिवेदित होकर श्रीमान् के माननीय न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत का जा रही है ।मूल पुरुषपाडुंरग की खानदानी पैतर्क कृषि भूमि होने से .इस प्रकरण मे निम्न लिखित वशांवली पर विचार करना वाद के निराकरण के लिए अत्यन्त आवश्यक है ।

पाडुंरग पिता विठोबा, फौत मूल पुरुष

- लक्ष्मी बाई , फौत पहली पत्नि
- पार्वती बाईबेवापाडुंरग, दुसरी पत्नि
  अपीलार्थी 1

↓ द्वारका बाई गैरअपीलार्थी
↓ दुर्गादास अपीलार्थी 2
↓ अम्बादास अपीलार्थी 3
↓ देवीदास अपीलार्थी 4
↓ कुसुम लता अपीलार्थी 5

प्रकरण के तथ्य :

(140)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी पीबीआर/निगरानी/बैतूल/भू.रा./2017/2040 जिला बैतूल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–7–2017	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 9.5.2017 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि 2/6 भाग का स्वामी अनावेदिका को माना गया है, और उसकी अपील भी निरस्त हो गई । वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, परंतु माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त नहीं है, इसलिये कार्यवाही स्थगित किये जाने का औचित्य नहीं है । तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं ह, क्योंकि व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होता है । इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के आदेश की पुष्टि की गई है । उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत होने से अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश प्रथम दृष्टया हस्तक्षेप नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	